न्यायालय :: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, जालोर

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्रसिंह चारण, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या– 524/2023
सी.आई.एस. सं. 859/2023
सीएनआर. सं.– RJJL020016092023

––

अभियोगी–
राजस्थान–राज्य

विरुद्ध

अभियुक्त–
दीपसिंह पुत्र बाबुसिंह, निवासी वेडिया, पुलिस थाना नोसरा, तहसील व जिला जालोर।

:: अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता::

उपस्थितः–
1–विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2–विद्वान अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह चौहान – अभियुक्त की ओर से।

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	दिनांक 12.10.2022 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	12.10.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	02.06.2023
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	02.06.2023
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	02.06.2023
निर्णय की तिथि	18.04.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	––

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	दीपसिंह	––	02.06.2023	498ए, 323 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	––	––

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::–

क. अभियोजन/परिवादी पक्ष

अभियोजन गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	गुड़िया	शिकायतकर्ता/प्रार्थिया

पीडब्ल्यू 2	अर्जुनसिंह	मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण
पीडब्ल्यू 3	इंद्रसिंह	प्रार्थिया के पिता
पीडब्ल्यू 4	देसु कंवर	प्रार्थिया की माता
पीडब्ल्यू 5	वर्षा कंवर	प्रार्थिया की बहन
पीडब्ल्यू 6	उत्तमसिंह	मौतबीर घटनास्थल निरीक्षण
पीडब्ल्यू 7	शिवराज	अनुसंधान अधिकारी

ख. बचाव

अभियुक्त गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
——	——	——

—:: <u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची</u> ::—

क. अभियोजन/परिवादी पक्ष

प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया गया
प्रदर्श पी 1	घटना की रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 1 गुड़िया, पीडब्ल्यू 3 इंद्रसिंह, पीडब्ल्यू 7 शिवराज
प्रदर्श पी 2	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका	पीडब्ल्यू 1 गुड़िया, पीडब्ल्यू 2 अर्जुनसिंह पीडब्ल्यू 7 शिवराज
प्रदर्श पी 3	मौका रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 6 उत्तमसिंह
प्रदर्श पी 4	पर्चाचाक एफआईआर	पीडब्ल्यू 7 शिवराज

ख. बचाव

प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया गया
——	——	——

::<u>निर्णय</u>:: **दिनांक— 18 अप्रैल, 2026**

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना बिशनगढ़ ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी के अभियुक्त दीपसिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दंड संहिता में दिनांक 02.06.2023 को न्यायालय में पेश किया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया था।

2. संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया गुड़िया कंवर पत्नी दीपसिंह, जाति राजपूत, निवासी वेडिया, हाल पीहर बालवाड़ा, पुलिस थाना बिशनगढ़ ने दिनांक 12.10.2022 को एक टाइपशुदा रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर थानाधिकारी, पुलिस थाना बिशनगढ़ के समक्ष इस आशय की पेश की कि प्रार्थिया

का विवाह करीब तीन वर्ष पूर्व दीपसिंह पुत्र बाबुसिंह, जाति भोमिया राजपूत, निवासी वेडिया, जिला जालोर के साथ हिंदू रीति–रिवाज अनुसार रिश्तेदारों व समाज के मौजिज लोगों के समक्ष हुआ था। विवाह के समय उसके पिताजी ने अपनी हैसियत अनुसार उसे विवाह में सोने–चांदी के गहने, घर बिक्री का सामान आदि स्त्रीधन के रूप में दिया था। विवाह के बाद वह अपने पति दीपसिंह के साथ अपने ससुराल जाकर रहने लगी। विवाह के करीब पांच–छह माह तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके पश्चात् उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। दीपसिंह रोज शराब पीकर आता व उसके साथ मारपीट करता व कहता कि प्रार्थिया के बाप ने उसे दहेज में कुछ नहीं दिया, समाज में उसकी व उसके परिवार की नाक कटवा दी। अब वह अपने बाप के घर से दो लाख रुपये दहेज के लेकर आए, वरना वह उसे घर से बाहर निकालकर दूसरी शादी कर लेगा। उसके साथ हो रही प्रताड़ना को वह अपने माता–पिता को बताती तो वे कहते कि धीरे–धीरे सब ठीक हो जाएगा, लकिन उसके पति की ज्यादतियां दिन–ब–दिन बढ़ती गईं। उसके द्वारा व उसके माता–पिता द्वारा काफी समझाइश की गई, लेकिन उसके पति के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा एवं वह पहले से ज्यादा उसके साथ मारपीट करने लगा व दहेज हेतु प्रताड़ित करने लगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने से करीबन डेढ़ वर्ष पूर्व उसके पति ने उसके साथ काफी मारपीट की व उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया व कहा कि जब उसके बाप के पास से दो लाख रुपये लाकर देगी, तब ही उसे यहां रहने देगा। वह जैसे–तैसे कर अपने पीहर आई। मुलजिम दीपसिंह ने उसका स्त्रीधन भी हड़प लिया एवं प्रार्थिया अपने पीहर बालवाड़ा में बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रही है। प्रार्थिया पिछले डेढ़ वर्ष से अपने पिता के घर पर रह रही है, लेकिन दीपसिंह आए दिन फोन पर उसे धमकियां देता है व कहता है कि उसे व उसकी बहन को जान से मार देगा व उसकी बहन को किडनैप कर उसको अपनी रखैल बनाकर रखेगा। मुलजिम दीपसिंह प्रार्थिया को फोन पर मैसेज कर धमकियां देता है, मुलजिम आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है तथा आए दिन धमकियां देता रहता है, जिससे प्रार्थिया को जान–माल का खतरा बना हुआ है.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बिशनगढ़ में अभियोग संख्या 42/2022 अंतर्गत धारा 498ए, 323 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त दीपसिंह के विरुद्ध धारा 498ए, 323 भा.द.स. का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 02.06.2023 को अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई। अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्त ने साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठे फंसाए जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

4. उक्त आरोपित अपराध के संबंध में बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी

का निवेदन है कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन रहा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त की आरोपित अपराध में लिप्तता प्रमाणित नहीं हुई है, अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नांकित अवधार्य प्रश्न विचारणीय हैः—

1. ''क्या अभियुक्त दीपसिंह ने दिनांक 12.10.2022 से तीन वर्ष पूर्व अपने विवाह के बाद आबादी मौजा वेडिया में अपनी वैध विवाहिता पत्नी श्रीमती गुड़िया कंवर से दहेज के लो लाख रुपये की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से तंग व परेशान कर मारपीट कर उसके साथ मानसिक व शारीरिक यातनाएं देकर क्रूरता कारित की तथा परिवादिया के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसे साधारण उपहतियां कारित कीं?'' इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है।

2. यदि हां, तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

6. हस्तगत प्रकरण में परिवादिया गुड़िया पीडब्ल्यू 1 ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी शादी सन् 2016 में दीपसिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद वह तीन साल तक ससुराल रही थी। शादी के छह मास तक तो उसे उसके ससुराल वालों ने ठीक रखा, उसके बाद उसका पति दीपसिंह उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता था और उससे पैसे मांगता था व दहेज में दो लाख रुपये पीहर से उसके माता–पिता से लाने के लिए कहता था। वह उसके साथ मारपीट करता व घर से निकालने की धमकी देता। तब उसने उक्त बात अपने माता–पिता को बताई तब कुछ लोगों ने उनके समझौता भी करवाया, फिर भी दीपसिंह नहीं माना और उसके बाद वह अपने पीहर आ गई थी और वहीं रहती है। उसने रिपोर्ट पेश की थी, जो प्रदर्श पी–1 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि दीपसिंह की माता, वह व दीपसिंह साथ रहते थे। उनके कोई संतान नहीं है। यह सही है कि उसने तलाक का दावा न्यायालय में लगा रखा है। यह सही है कि दीपसिंह ने उसे वापस ले जाने का दावा लगाया था। दीपसिंह आज उसे वापस लेकर जाना चाहे तो वह जाने के लिए तैयार नहीं है। यह गलत है कि दीपसिंह अगर अपनी माता से अलग रहे तो वह उसके साथ जाकर रहेगी। अजखुद कहा कि वह दीपसिंह को उसकी माताजी से अलग करना चाहती है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 3 इन्द्रसिंह जो परिवादिया गुड़िया का पिता है, ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में शादी के एक वर्ष तक उसकी बेटी गुड़िया को उसके ससुराल वालों द्वारा ठीक रखने का व उसके बाद उसके पति दीपसिंह द्वारा गुड़िया को तंग परेशान करने का व उससे रुपयों की मांग व उसके साथ मारपीट करने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा

की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि शादी के दो साल बाद उसे उसकी बेटी के साथ मारपीट करने का पता चला। गवाह पीडब्ल्यू 4 देसु कंवर जो परिवादिया की माता है ने भी अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विवाह के बाद उसकी बेटी उसके ससुराल गई जहां पांच–छह महीने राजीखुशी रही। उसके बाद गुड़िया ने बताया कि उसका पति रोजाना दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान करता है और शराब पीकर आता है और उसके साथ मारपीट करता है व दहेज में दो लाख रुपये की मांग करके मारपीट करता है व उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसे गुड़िया कंवर के द्वारा पता चला कि दीपसिंह गुड़िया कंवर के साथ मारपीट करता है। गवाह पीडब्ल्यू 5 जो गुड़िया कंवर की बहन है ने भी अपनी साक्ष्य में परिवादिया के अपने ससुराल में पांच–छह महीने तक राजीखुशी रहने का व उसके बाद गुड़िया द्वारा उसे अभियुक्त द्वारा गुड़िया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट व लड़ाई–झगड़ा करने के बारे में बताने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसे फोन के द्वारा गुड़िया कंवर ने मौखिक रूप से मारपीट के बारे में बताया था। गवाह पीडब्ल्यू 6 उत्तमसिंह ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दीपसिंह उसका भाई है। जिसका विवाह गुड़िया के साथ पांच साल पूर्व हुआ था। लगभग तीन साल तक गुड़िया कंवर उनके यहां रही थी। उसके बाद गुड़िया अपने पीहर चली गई थी और उसके भाई के विरुद्ध मुकदमा किया था। पुलिस वाले उनके घर पर तीन बजे मौका देखने आए थे, तब वह घर पर ही था। मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह पीडब्ल्यू 2 ने भी अपनी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 की ताईद की है। गवाह पीडब्ल्यू 7 शिवराजसिंह ने हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान कर बाद अनुसंधान अभियुक्त दीपसिंह के विरुद्ध धारा 498ए, 323 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानने की साक्ष्य दी है।

7. हस्तगत प्रकरण में परीक्षित अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 4 देसु कंवर द्वारा उसे गुड़िया कंवर से दीपसिंह द्वारा गुड़िया कंवर के साथ मारपीट करने के तथ्य का पता चलने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 5 वर्षा कंवर द्वारा भी अपनी साक्ष्य में गुड़िया कंवर द्वारा उसे फोन पर मारपीट के बारे में बताने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 3 इन्द्रसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में शादी के दो साल बाद उसे उसकी बेटी के साथ मारपीट करने का पता चलने का कथन किया है। ऐसे में उक्त समस्त गवाहान अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा गुड़िया कंवर को दहेज के लिए तंग परेशान व मारपीट करने का कथन परिवादिया गुड़िया के कहने के आधार पर कर रहे हैं। इस कारण परिवादिया गुड़िया हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। परिवादिया गुड़िया पीडब्ल्यू 1 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि शादी के छह माह तक उसे उसके ससुराल वालों ने ठीक रखा था, जबकि परिवादिया का पिता इन्द्रसिंह अपनी साक्ष्य में शादी के एक वर्ष तक उसकी पुत्री गुड़िया को उसके ससुराल वालों द्वारा ठीक रखने का व उसके बाद उसके पति द्वारा गुड़िया को तंग परेशान करने का कथन किया है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित करने के लिए

अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त दीपसिंह द्वारा परिवादिया गुड़िया से दहेज की मांग की गई हो या अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई आचरण किया गया, जिस कारण परिवादिया आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई हो या जिससे उसके जीवन या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना थी। इस संबंध में परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसके साथ शराब पीकर मारपीट करने का व उससे दहेज में दो लाख रुपये की मांग करने का कथन किया है। परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उससे दो लाख रुपये की मांग किस दिनांक, किस वर्ष व कौन से महीने में की गई थी। परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में दो लाख रुपये की मांग को लेकर मारपीट करने का कथन किया है, परंतु घटना का कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया है और उक्त कथन उसके द्वारा धारा 498ए भारतीय दंड संहिता में परिभाषित क्रूरता में किसी प्रकार से शामिल कर देने के उद्देश्य से दिया जाना दर्शित होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Rajesh Chaddha Vs State of Uttar Pradesh 2025 INSC 671 में यह मत व्यक्त किया है कि–

> "The term "cruelty" is subject to rather cruel misuse by the parties, and cannot be established simpliciter without specific instances, to say the least. The tendency of roping these sections, without mentioning any specific dates, time or incident, weakens the case of the prosecutions, and casts serious suspicion on the viability of the version of a Complainant. We cannot ignore the missing specifics in a criminal complaint, which is the premise of invoking criminal machinery of the State."

8. हस्तगत प्रकरण में भी परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई स्पष्ट घटना का विवरण नहीं दिया है, न ही घटना की दिनांक, समय, महीना तथा वर्ष आदि बताया है। परिवादिया के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादिया के पिता पीडब्ल्यू 3 इन्द्रसिंह, परिवादिया की माता पीडब्ल्यू 4 देसु कंवर, परिवादिया की बहन पीडब्ल्यू 5 वर्षा कंवर ने भी अपनी साक्ष्य में घटना की दिनांक, समय, महीना तथा वर्ष आदि नहीं बताया है, न ही घटना का कोई स्पष्ट विवरण दिया है। परिवादिया ने अपनी साक्ष्य में इस सुझाव को सही बताया है कि दीपसिंह की माता, वह और दीपसिंह साथ में रहते हैं। परिवादिया द्वारा आगे अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि वह दीपसिंह को उसकी माताजी से अलग करना चाहती है। ऐसे में अभियुक्त व परिवादिया के मध्य विवाद अभियुक्त की माता के अभियुक्त व परिवादिया के साथ रहने के कारण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस कारण भी अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है।

9. इस प्रकार उक्त समस्त साक्ष्य के विवेचन से परिवादिया की साक्ष्य न्यायालय का विश्वास आकृष्ट करने में कमजोर प्रकृति की रही है। परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट विवरण क्रूरता बाबत् नहीं किये हैं। धारा 498ए भादंसं में वर्णित अपराध के संबंध में न्यायालयों में आ रहे मामलों को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत

प्रतिपादित किया है कि न्यायालयों में क्रूरता के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को अति सतर्कता से देखना चाहिए तथा यह भी कहा है कि अस्पष्ट आक्षेपों के आधार पर धारा 498ए भादंसं के तहत क्रूरता को प्रमाणित मानना उचित नहीं है। अतः उक्त साक्ष्य के विवेचन से धारा 498ए भादंसं का आरोप अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित नहीं होता है। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप है तो इस संबंध में पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई हो। परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ किस दिनांक व किस समय पर मारपीट की गई थी, जिससे उसे साधारण उपहति कारित हुई थी, न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर है। ऐसे में धारा 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप भी अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे साबित नहीं होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता से जोड़ने में व अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

11. अतः अभियुक्त **दीपसिंह पुत्र बाबुसिंह, निवासी वेडिया, पुलिस थाना नोसरा, तहसील व जिला जालोर** को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं।

अभियुक्त के नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत व मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं. 01, जालोर

12. निर्णय व आदेश आज दिनांक 18.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं. 01, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.18 00:30:46 IST